राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा
अकेलगढ़ रावतभाटा रोड, कोटा 324010
फोन (0744)–.2473003 फेक्स (0744)–2473033

क्र0: एफ(2) / बोम–40 / 2022 / 12107–27 दिनांकः 11.02.2022

माननीय सदस्यगण
प्रबंध मण्डल
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय,
कोटा

विषय : प्रबंध मण्डल की 40वीं नियमित बैठक के कार्यवाही विवरण प्रेषित करने हेतु

महोदय / महोदया,

दिनांक 07.02.2022 (सोमवार) को राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा की प्रबंध मण्डल की 40वीं नियमित बैठक के कार्यवाही विवरण अंतिम रूप से जारी कर आपको प्रेषित किये जा रहे है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीया

(आराधना सक्सेना)
आई.ए.एस.
कुलसचिव एंव
सचिव, प्रबन्ध मण्डल

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा

प्रबन्ध मण्डल बैठक

कार्यवाही विवरण

बैठक संख्या	: 40वीं बैठक
स्थान	: **Hybrid Mode (Online/Offline)**
दिनांक	: 07 फरवरी 2022 (सोमवार)
समय	: दोपहर 3.30 बजे

माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 07.02.2022 को दोपहर 03.30 बजे राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा की 40वीं प्रबंध मण्डल की बैठकका आयोजन हाईब्रिड मोड (ऑन लाईन/ऑफ लाईन) केमाध्यम से किया गया। बैठक में निम्नांकित सदस्य उपस्थित रहेः–

1. श्री रामनारायण मीणा, माननीय विधायक
2. श्री मनीष गुप्ता, संयुक्त सचिव (प्रतिनिधि शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग)
3. श्री संत कुमार चौधरी
4. श्री रवि जूनिवाल
5. श्री पी.सी. मकवाना
6. प्रो. अनिल के0 माथुर
7. प्रो. एस. के. राठौड
8. प्रो. धीरेन्द्र माथुर
9. प्रो. मिथिलेश कुमार
10. प्रो. विवेक पांडे
11. श्री सी.डी. प्रसाद
12. डॉ. मनीष चतुर्वेदी
13. श्रीमती आराधना सक्सेना
14. श्री ए.ए.हनफी
15. डॉ. रमेश कुमार पचार
16. डॉ. रवि गुप्ता
17. प्रो. धीरज पलवलिया, विशेष आमंत्रित
18. श्री प्रहलाद मीणा विशेष आमंत्रित

श्री पानाचन्द मेघवाल, विधायक महोदय एवं श्री दीपक नंदी संभागीय आयुक्त कोटा (प्रतिनिधि वित विभाग) बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

सर्वप्रथम भारतरत्न पार्श्वगायिका सुश्री लता मंगेशकर जी के देवलोकगमन पर सदन के समस्त सदस्यों द्वारा दो मिनट का मौन धारण कर उनको श्रृद्धान्जली अर्पित की गई। तत्पश्चात देवी सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलित कर बैठक को विधिवत रूप से प्रारम्भ किया गया।बैठक करने से पूर्व माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्य सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया तदउपरान्त बैठक का शुभारम्भ किया गया।

माननीय कुलपति महोदय ने विश्वविद्यालय के प्रगति प्रतिवेदन का संक्षिप्त विवरण सदन के समक्ष प्रस्तुत किया।

प्र.म.40.1 **प्रबंध मण्डल के नये सदस्यों का स्वागत एवं निवर्तमान सदस्यों के योगदान की सराहना।**

(कुलसचिव)

श्री भवानी सिंह देथा, सचिव, तकनीकी शिक्षाएवं श्रीमती आराधना सक्सेना, कुलसचिव का स्वागत किया जाता है तथा श्री एन.एल. मीणा, तत्कालीन सचिव, तकनीकी शिक्षा, श्री नरेश मालव, तत्कालीन कुलसचिव, द्वारा दिये गये योगदान की सराहना की जाती है। प्रबंध मण्डल के सदस्यों की वर्तमान सूची माननीय सदस्यों के अवलोकन हेतु प्रस्तुत है। **(अनुलग्नक 40.1 पृष्ठ 1—2)**

संकल्प **अवलोकन किया गया।**

प्र.म.40.2 **दिनांक 26.07.2021 को हुई प्रबंध मण्डल की 39वीं बैठक के कार्यवाही विवरण पारित करना। (अनुलग्नक 40. पृष्ठ संख्या — 3से 31 तक)**

(कुलसचिव)

कार्यवाही विवरण माननीय सदस्यों के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प **अवलोकन किया गया एवं अनुमोदन किया गया ।**

प्र.म.40.3 **दिनांक 26.7.2021 को हुई प्रबंध मण्डल की 39वीं विशेष बैठक के कार्यपालना रिपोर्ट अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ**

(कुलसचिव)

प्रम 39.1	प्रबंध मण्डल के नये सदस्यों का स्वागत एवं निवर्तमान सदस्यों के योगदान की सराहना ।	अवलोकन
प्रम 39.2	दिनांक 14.12.2020 को हुई प्रबंध मण्डल की 36वीं बैठक के कार्यवाही विवरण पारित करना।	अनुमोदित
प्रम 39.3	दिनांक 29.01.2021 को हुई प्रबंध मण्डल की 37वीं विशेष बैठक के कार्यवाही विवरण पारित करना।	अनुमोदित
प्रम 39.4	दिनांक 14.12.2020 को हुई प्रबंध मण्डल की 36वीं बैठक की कार्यपालना प्रतिवेदन अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	रिपोर्ट प्राप्त **(अनुलग्नक 40.3.1 पृष्ठ संख्या 32 से 42 तक)**
प्रम 39.5	दिनांक 29.01.2021 को हुई प्रबंध मण्डल की 37वीं विशेष बैठक की कार्यपालना प्रतिवेदन अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	अनुमोदित
प्रम 39.6	दिनांक 24.06.2021 को हुई प्रबंध मण्डल की 38वीं विशेष बैठक के कार्यवाही विवरण पारित करना।	अनुमोदित
प्रम 39.7	दिनांक 24.06.2021 को हुई प्रबंध मण्डल की 38वीं विशेष बैठक की कार्यपालना प्रतिवेदन अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ	कार्यालय आदेश संख्या 2151—55 दिनांक 14.12.

	प्रस्तुत है।	2021 जारी किया गया। शेष प्रकरण प्रक्रियाधीन है।**(अनुलग्नक 40.3.2 पृष्ठ संख्या 43)**
प्रम 39.8	दिनांक 6.2.2021 को हुई विद्या परिषद की 32वीं विशेष बैठक के कार्यवाही विवरण पारित करना।	अनुमोदित
प्रम 39.9	दिनांक 01.3.2021 को सम्पन्न हुई वित्त समिति की 22वीं विशेष बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन	अनुमोदित
प्रम 39.10	दिनांक 15.5.2021 को ऑन लाईन मॉड में सम्पन्न हुई वित्त समिति की 23वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन	अनुमोदित
प्रम 39.11	विश्वविद्यालय के विभागों (UD) में प्रवेश हेतु नॉडल आफिसर का नोमिनेशन । Nomination of Nodal Officer for Admissions in University Departments.	कार्यालय आदेश संख्या 966 दिनांक 30.11.2021 **(अनुलग्नक 40.3.3 पृष्ठ संख्या 44)**
प्रम 39.12	बी.टेक. के 4 कोर्सेस में प्रवेश क्षमता में वृद्वि करने के संबंध में। Increase in Intake in Four B Tech courses	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक North-West/1-93190869/2021/EOA दिनांक 02.07.2021 **(अनुलग्नक 40.3.4पृष्ठ संख्या 45–48)**
प्रम 39.13	प्रवेश क्षमता में वृद्वि के प्रस्ताव के अनुरूप अतिरिक्त शैक्षणिक पदों का सृजन हेतु प्रस्ताव । Proposal for creation of additional academic posts in line with the proposal to increase the intake capacity.	प्रक्रियाधीन
प्रम 39.14	शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन और उत्कृष्टता के लिए कदम । Steps for Quality Assurance and Excellence in Education	कार्यालय आदेश संख्या 9545–60 दिनांक 14.12.2021 **(अनुलग्नक 40.3.5 पृष्ठ संख्या 49)**शेष मुख्य प्रोक्टर स्तर पर प्रक्रियाधीन
प्रम 39.15	विश्वविधालय के कार्मिकों को अकादमिक /शोध /पोस्ट – डॉक्टरल शोध हेतु अवकाश नियम Agenda for leave for academic program/ research/ post-doctoral Research for university employees.	प्रक्रियाधीन है।
प्रम 39.16	विश्वविद्यालय के कार्मिकों एवं विद्यार्थियों हेतु आचरण संहिता (Code of conduct) हेतु। Code of Conduct for Employees and students of University	प्रक्रियाधीन है।
प्रम 39.17	बी.टेक.,बी.आर्क, बीएचएमसीटी, बीबीए, एमसीए,एमबीए, एम. टेक एवं एम.आर्क के ऐसे छात्रों जिन्होनें निर्धारित समय/अनुमत अवधि पूरी करने के बाद भी अपनी डिग्री पूरी	कार्यालय आदेश संख्या 7973–88 दिनांक 22.11.2021 **(अनुलग्नक 40.3.6 पृष्ठ संख्या**

	नही की है को एक अतिरिक्त सानुग्रह अवसर पर विचार किये जाने का प्रस्ताव।	**50)**
प्रम 39.18	विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों– विद्यालयों महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयो एव छात्रावासो में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियो को गेस्ट फेकल्टी के रूप मे लेने के लिये ''विद्या संबल योजना'' के संबध में दिशा निर्देश एवं प्रक्रिया।	कार्यालय आदेश संख्या 7223–25 दिनांक 11.10.2021 **(अनुलग्नक 40.3.7 पृष्ठ संख्या 51)**
प्र.म.39.19	राज्य में संचालित अभियांत्रिकी महाविद्यालयों/तकनीकी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों का एक संस्थान से दूसरे संस्थान में स्थानांतरण के बाबत राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित नीति के अनुमोदन हेतु ।	कार्यालय आदेश संख्या 1603–08 दिनांक 17.09.2021 **(अनुलग्नक 40.3.8 पृष्ठ संख्या 52)**
प्र.म.39.20	राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में जुलाई, 2015 में 5वें एवं 6ठे वेतन आयोग के अनुसार Career Advancement Scheme (CAS) के अन्तर्गत की गई पदौन्नतियों के संबंध में अनियमितताओं से संबंधित प्राप्त शिकायतों की जांच हेतु गठित जांच समिति की रिपोर्ट की पालना किये जाने के क्रम में संयुक्त शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, जयपुर के पत्रांक प.22 (7) (1)त.शि./2009 दिनांक 15 सितम्बर, 2020 (अनुलग्नक 39.20.1 पृष्ठ 142–150)के द्वारा प्रदत्त निर्देशों पर की गई कार्यवाही का अनुमोदन हेतु ।	संयुक्त शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, जयपुर को पत्र संख्या प. 22(7)(1)त.शि./2009दिनांक 15.9.2020 के क्रम में 'सी' टाईप प्रकरणों के लिए राज्य सरकार को विश्वविद्यालय की ओर से पत्र क्रमांक दिनांक 11433–34 दिनांक 25.01. 2022 प्रेषित किया गया। शेष प्रकरणों पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **(अनुलग्नक 40.3.9 पृष्ठ संख्या 53–55तक)**
प्रमआर 39.1	डीन स्टूडेंट वेलफेयर का कार्यादेश अनुमोदन ।	अवलोकन किया गया
प्रमआर 39.2	ब्रांच परिवर्तन के नियमों में ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणीं के विद्यार्थियों हेतु द्वितीय संशोधन।	कार्यालय आदेश संख्या **1923–27 दिनांक 4.12.21 (अनुलग्नक 40.3.10 पृष्ठ संख्या 56)**

उक्त कार्यपालना रिपार्ट माननीय सदस्यों के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प 40.3 **दिनांक 14.12.2020 को आयोजित प्रबन्ध मण्डल की बैठक के बिन्दु संख्या 39.4 के सन्दर्भ प्रकरण का अवलोकन किया एवं निर्णय किया गया कि प्रस्ताव को राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर की तर्ज पर राज्य सरकार के समक्ष मार्गदर्शन हेतु प्रेषित कर दिया जावे।**

प्र.म.40.4 दिनांक 31.7.2021 को हुई विद्या परिषद की 33वीं विशेष बैठक के कार्यवाही विवरण पारित करना।(अनुलग्नक 40.4 पृष्ठ संख्या 57–61 तक)

(कुलसचिव)

उक्त कार्यवाही विवरण माननीय सदस्यों के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प **विद्या परिषद के बिन्दु संख्या 33.1(S)में परिषद द्वारा पारित निर्णय को विश्वविद्यालय के सम्बद्ध महाविद्यालयों को प्रेषित किया जावेताकि विद्यार्थीगण भी इस निर्णय से सूचित हो सके।**

प्र.म.40.5 दिनांक 29.1.2022 को हुई विद्या परिषद की 34वीं विशेष बैठक के कार्यवाही विवरण पारित करना। (अनुलग्नक 40.5 पृष्ठ संख्या 62–90 तक)

(कुलसचिव)

उक्त कार्यवाही विवरण माननीय सदस्यों के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प **कार्यवाही विवरण निम्नांकित आंशिक संशोधन के पश्चात माननीय सदस्यों द्वारा पारित किया गयाः–**
विद्या परिषद के बिन्दु संख्या 34.5 स्पेशल में University Regulation for Grant of Autonomous College Status booklet के पृष्ठ संख्या81, R-9, part (9) (1) in table 'A' Sr. No. 1 Nature may be read as ammended as " Trust or Management as per the constitution or bylaws, with the Chairman or President/director as Chairman. Members be nominated by the Chairman. (2) in table 'C", Sr. No. 1 Nature may be read as ammended as "Nominated by the University.

प्र.म.40.6 दिनांक 13.8.2021 को सम्पन्न हुई वित्त समिति की 25वीं विशेष बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन
(अनुलग्नक 40.6 पृष्ठ संख्या 91–95 तक)

वित्त नियंत्रक

उक्त कार्यवाही विवरण माननीय सदस्यों के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प **अवलोकन एवं अनुमोदित किया गया।**

प्र.म.40.7 दिनांक 28.9.2021 को सम्पन्न हुई वित्त समिति की 26वीं विशेष बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन
(अनुलग्नक 40.7 पृष्ठ संख्या 96–109 तक)

वित्त नियंत्रक

उक्त कार्यवाही विवरण माननीय सदस्यों के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प अवलोकन एवं अनुमोदित किया गया।

प्र.म. 40.8 **परीक्षा वर्ष 2020में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पी.एच.डी. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को एकादश दीक्षान्त समारोह में उपाधि अनुग्रहित करने के कम में।**

बी.टेक., बी.आर्क, बी.एच.एम.सी.टी., बी.बी.ए., एम.बी.ए., एम.सी.ए., एम.टेक. एवंएम.आर्क के वे सभी विद्यार्थी जिन्होने परीक्षा वर्ष 2020 तक अपनी सम्बन्धित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, साथ ही दिनांक 31.01.2022 तक परिणाम जारी हो गये हो, उन्हें विश्वविद्यालय के एकादश दीक्षान्त समारोह में उपाधि अनुग्रहित किया जाना है। पी.एच.डी. पाठ्यक्रम के छात्रों को उपाधि प्रदान किये जाने की अर्हता तिथि अकादमिक परिषद् की बैठक दिनांक 29.01.2022 के संकल्प संख्या 34.1 के अनुसार निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है।

अतः अनुरोध है कि बी.टेक., बी.आर्क, बी.एच.एम.सी.टी., बी.बी.ए., एम.बी.ए., एम.सी.ए., एम.टेक. एवंएम.आर्क व पी.एच.डी. के वे सभी विद्यार्थी जिन्होनें उपरोक्त तिथियों तक अपनी सम्बन्धित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, उन्हें उपाधि अनुग्रहित करने हेतु तथा दीक्षान्त समारोह अध्यादेश सं.10 के अनुरूप उपाधि/स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने की तिथि दर्ज करने के लिए 34वीं अकादमिक परिषद् के निर्णय सं. 34.1 के अनुसरण में अनुमोदित किये जाने का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

साथ ही प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों से अनुरोध है कि दिनांक 31.01.2022 तक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले ऐसे छात्र जिनका डिग्री रजिस्टर में नाम दर्ज नही हो सका है, को डिग्री प्रदान करने के लिए माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया जाना प्रस्तावित है। एकादश दीक्षान्त समारोह हेतु पात्र छात्रों की पाठ्यक्रमवार संख्या प्रबन्ध मण्डल के समक्ष उपाधि अनुग्रहित किये जाने हेतु प्रस्तुत है। **(अनुलग्नक 40.8 पृष्ठ संख्या 110)**

संकल्प अवलोकन एवं अनुमोदित किया गया।

प्र.म. 40.9 **एकादश दीक्षान्त समारोह में कुलाधिपति स्वर्ण पदक व कुलपति स्वर्ण पदक, पात्र छात्रों को प्रदान किये जाने का अनुमोदन।**

माननीय कुलाधिपति महोदय के कार्यालय से प्राप्त अर्द्धशासकीय पत्र संख्या एफ.1(39)आरबी/2016/ 7927 दिनांक 28.09.2016 में दिये गये निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जाना था। यह स्वर्ण पदक प्रत्येक वर्ष रोटेशन के आधार पर निर्धारित संकाय के लिए दिया जाना निश्चित किया गया।

माननीय राजभवन के निर्देशों की पालना में विश्वविद्यालय द्वारा अनुपालना रिपोर्ट अपने पत्र संख्या आरटीयू/वीसीएस/एफ(1)5/2016/ दिनांक 29.11.2016 द्वारा प्रस्तुत की जा चुकी है। साथ ही रोटेशन रोस्टर भी सूचित किया जा चुका है। उक्त आदेश प्रबन्ध मण्डल की 28वीं बैठक की कार्यसूची संख्या 28.03 पर अनुमोदित किये गये। साथ ही प्रबन्ध मण्डल द्वारा कुलाधिपति स्वर्ण पदक के साथ ही बी.टेक. पाठ्यक्रम की समस्त ब्रांचों में अधिकतम अंक लाने वाले छात्र को कुलपति स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने की भी अनुशंसा की गई। इस वर्ष कुलाधिपति स्वर्ण पदक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में रोटेशन के आधार पर एम.सी.ए. पाठ्यक्रम का क्रम है। अतः वर्ष 2018 में प्रवेशित एम.सी.ए. पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों में से अधिकतम अंक लाने वाला विद्यार्थी इस वर्ष कुलाधिपति स्वर्ण पदक हेतु योग्य है, जिसने अपना पाठ्यक्रम वर्ष 2020 तक पूर्ण कर लिया है।

(अनुलग्नक 40.9 पृष्ठ संख्या 111)

एकादशदीक्षान्त समारोह में कुलाधिपति व कुलपति स्वर्ण पदक के योग्य अभ्यर्थियों के नाम निम्नानुसार है :

1	**कुलाधिपति स्वर्ण पदक**	**सुश्री राधिका गोयल, एम.सी.ए. अनुक्रमांक 18CIIXX260 उत्तीर्ण वर्ष 2020, 86.90 प्रतिशत**
2	**कुलपति स्वर्ण पदक**	**सुश्री वन्दना वैष्णव, बी.टेक. अनुक्रमांक 16EDWCS045 उत्तीर्ण वर्ष 2020, 88.81 प्रतिशत**

माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

संकल्प **अवलोकन एवं अनुमोदित किया गया।**

प्र.म. 40.10 **माननीय कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को अनुज्ञात सानुग्रह अवसर को संसूचित करने व एम.टेक/एम.आर्क. के विद्यार्थियों को लघु शोध प्रबन्ध जमा कराये जाने की अन्तिम तिथि में अभिवृद्धि किये जाने का अनुमोदन।**

1 विश्वविद्यालय द्वारा आदेश क्रमांकF(23)/RTU-Exam/Conduct/2020-21/5.222/7973-88 दिनांक 22.11.2021के माध्यम से बी.टेक. 2006 से 2011, लीप 2007 से 2012, बी.एच.एम.सी.टी. 2006 से 2012, बी.आर्क 2006 से 2009, बी.बी.ए. 2013, एम.सी.ए. 2006 से 2013, एम.बी.ए. 2006 से 2015, एम.टेक. 2006 से 2015 एवं एम.आर्क 2006 से 2015 में नामांकित छात्रो को प्रबन्ध मण्डल के संकल्प संख्या 39.17 पर लिए गये निर्णय की अनुपालना

में एक 'अतिरिक्त सानुग्रह अवसर' सत्र 2020–21 की परीक्षा के रूप में अनुज्ञात किया गया। प्रति संलग्न है।

2 अकादमिक परिषद के संकल्प संख्या AC33.2(S)की अनुपालना में बी.टेक. 2013, लीप 2014, बी.एच.एम.सी.टी. 2013, बी.आर्क 2011 बी.बी.ए. 2015, एम.सी.ए. 2015, एम.बी.ए. 2017, एम.टेक. 2017 एवं एम.आर्क 2017 में नामांकित छात्रो को एक सानुग्रह अवसर सत्र 2021–22 की विश्वविद्यालय परीक्षा के साथ अनुज्ञात किया है। प्रति संलग्न है।

3 बिन्दु संख्या 1 में बी.टेक. 2006 से 2011 व उसके समकक्ष बैचों/पाठ्यक्रमों को एक अतिरिक्त सानुग्रह अवसर अनुज्ञात किया जा चुका है। जबकी बी. टेक. वर्ष 2012, लीप 2013, बी.एच.एम.सी.टी. 2012, बी.आर्क 2010, बी.बी.ए. 2014, एम.सी.ए. 2014, एम.बी.ए. 2016, एम.टेक. 2016 एवं एम.आर्क 2016 में नामांकित छात्रो के पास सत्र 2021–22 में कोई भी सानुग्रह अवसर उपलब्ध नही था। चूंकि सत्र 2021–22 के ऑनलाईन परीक्षा फार्म माह दिसम्बर के प्रथम सप्ताह से भरवाये जाने प्रस्तावित थे। अतिआवश्यक प्रकृति का होने के कारण प्रकरण माननीय कुलपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय कुलपति महोदय द्वारा उक्त बैचों/पाठ्यक्रमों के छात्रो को एक सानुग्रह अवसर प्रदान करने के प्रस्ताव को दिनांक 01.12.2021 को अनुमोदित किया। तदनुसार आदेश क्रमांक 9047–9060 दिनांक 04.12.2021 जारी किया गया। प्रति संलग्न है।

4 बिन्दु संख्या 1, 2 व 3 में अंकित नामांकित वर्ष के एम.टेक/एम.आर्क. के छात्रों हेतु वर्तमान में लघु शोध प्रबन्ध जमा कराने की अन्तिम तिथि 31.12. 2021 निर्धारित है। चूंकि विश्वविद्यालय द्वारा उक्त छात्रों हेतु अतिरिक्त सानुग्रह अवसर प्रदान किया गया है, अतः सानुग्रह अवसर से बकाया सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् छात्र को लघु शोध प्रबन्ध जमा करवाने हेतु अतिरिक्त समय की आवश्यकता होगी।

अतः निम्नलिखित प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष विचारार्थ प्रस्तावित है :–

A उक्त बिन्दु संख्या 3 में उल्लेखित सानुग्रह अवसर का प्रकरण माननीय सदस्यों के समक्ष रिपोर्टिंग आईटम के रूप में प्रस्तुत है।

B उक्त बिन्दु संख्या 4 में उल्लेखित वर्ष 2006 से 2017 में नामांकित एम.टेक. IV/VIसेमेस्टर तथा एम.आर्क IV सेमेस्टर के छात्रों के लिए लघु शोध प्रबन्ध (Dissertation)जमा कराने की अन्तिम तिथि को 31 दिसम्बर 2021 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2022 किया जाना प्रस्तावित है।

(अनुलग्नक 40.10 पृष्ठ संख्या 112–119 तक)

3

प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

संकल्प **बिन्दु संख्या A का अवलोकन किया गया तथा बिन्दु संख्या B में परीक्षा नियंत्रक के अनुरोध पर सदस्यों द्वारा प्रस्तावित अंतिम तिथि 31 अगस्त 2022 को बढ़ाते हुए 31 दिसम्बर 2022 करते हुए प्रस्ताव अनुमोदित किया।**

प्र.म. 40.11 **कुलपति की नियमित नियुक्ति के लिए गठित की जाने वाली चयन समिति में प्रबंध मण्डल द्वारा सदस्य का चयन कर सूचना राजभवन प्रेषित करने संबंधी प्रस्ताव।**

(कुलसचिव)

राजभवन जयपुर से प्राप्त पत्र एफ 34(3)आरबी/2018/237 दिनांक 13 जनवरी 2022 में दिये गये निर्देशों की पालना में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा के कुलपति चयन समिति के लिए राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के अधिनियम 2006 (यथा संशोधित 2013) 11 (1) (क) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय की प्रबंध मण्डल द्वारा सदस्य का चयन कर उनका नाम, पद, पता फोन नम्बर, फैक्स नम्बर एवं ई–मेल इत्यादि की सूचना राजभवन प्रेषित की जानी है।
(अनुलग्नक 40.11 पृष्ठ संख्या 120)

अतः प्रस्ताव प्रबंध मण्डल के समक्ष विचारार्थअग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

संकल्प 40.11 **प्रबन्ध मण्डल के माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से कुलपति चयन समिति में डा. आर. डी. सैनी का मनोनयन किया गया जिनका विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :–**

1. नाम एवं पद	**: डा. आर.डी. सैनी**
2. पता	**113/105, सेक्टर–11, कुम्भा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर (राजस्थान)**
3. मोबाईल नं., फोन नम्बर एवं फैक्स नम्बर	**: 07357753956**
4. ईमेल	**:rd_saini@yahoo.co.in**

प्र.म. 40.12 **माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के विधिक प्रकरणों हेतु अतिरिक्त स्टेडिंग काउसिंल की नियुक्ति के संबंध में**

राज्य के विभिन्न न्यायालयों में लंबित विधिक प्रकरणों के त्वरित निस्तारण एवं निष्पादन तथा नए प्रकरणों के संबंध में समय पर विधिक कार्यवाही एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु अन्य विश्वविद्यालयों की तरह जयपुर एवं कोटा में विश्वविद्यालय की तरफ से एक–एक स्टेंडिंग कॉउसिल की नियुक्ति पूर्व में प्रबंध मण्डल की 26 वीं बैठक के बिन्दु संख्या 26.7 में पारित निर्णय की अनुपालना में की गई है। चूंकि वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर में विधिक प्रकरणों की संख्या निरन्तर बढ रही है। वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालयों में 115 विधिक प्रकरण चल रहे है। अतः माननीय उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर के लिए एक अतिरिक्त स्टेंडिंग कॉउसलिंग की नियुक्ति किए जाने के प्रस्ताव प्रबंध मण्डल के समक्ष निर्णयार्थ रखा जाना प्रस्तावित है।

अतः प्रस्ताव प्रबंध मण्डल के समक्ष विचारार्थअग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

संकल्प 40.12 **प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।**

प्र.म.40.13 **राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के शिक्षकों को छठे वेतनमान में केरियर एडवान्समेंट स्कीम के अन्तर्गत ग्रेड पे 6000–7000 तथा 7000–8000 का लाभ दिये जाने हेतु चयन समिति की अनुशंसाऐं अनुमोदनार्थ ।**

(कुलसचिव)

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के शिक्षकों को छठे वेतनमान में केरियर एडवान्समेंट स्कीम के अन्तर्गत ग्रेड पे 6000–7000 तथा 7000–8000 का लाभ दिये जाने हेतु दिनांक 11.01.2022 से दिनांक 13.01.2022 तक आयोजितScreening Cum Evaluation Committeesकी बैठक में की गई अनुशंसाओं के बंद लिफाफे खोले जाने एवं उनके अनुमोदन का प्रस्ताव।

प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

संकल्प40.13 **प्रस्ताव पर मण्डल के समस्त सदस्यों का मत था कि चयन समिति की अनुशंसाओं के बन्द लिफाफे इसी बैठक में खोल लिये जावे पर माननीय विधायक श्री राम नारायण मीणा द्वारा सुझाव दिया गया कि इस प्रस्ताव को फिलहाल स्थगित करते हुए एक माह बाद पुनः मण्डल की विशेष बैठक में रखते हुए पारित करवाया जावे। तत्पश्चात मण्डल के अन्य सदस्यों के सुझाव के अनुसार चूंकि वर्तमान में विधान सभा सत्र चल रहा है, अतःसी.ए.एस. के सन्दर्भ में चयन समिति की अनुशंषाओं का अनुमोदन करने हेतु विधान**

सभा सत्र समाप्ति के तीसरे दिन विशेष बैठक पुनः आयोजित कर प्रस्ताव रख लिया जावे।

प्र.म. 40.01(आर) **बी. टेक. प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले ऐसे विद्यार्थियों जिनके पास 10+2 में भौतिकी या गणित विषय नहीं है, उन विद्यार्थियों के लिए ब्रिज कोर्सहेतु पाठयक्रम एवं दिशा निर्देश**

उपरोक्त विषय में डीन, अकादमिक द्वारा जारी किया गया आदेश संख्या 5204–08 दिनांक 03.12.2021 माननीय सदस्यों के समक्ष अवलोकन हेतु प्रस्तुत है।

(अनुलग्नक 40.1(आर) पृष्ठ संख्या 121–125 तक)

संकल्प **अवलोकन किया गया।**

प्र.म. 40.1(पूरक) **श्री मनोज कुमार जांगिड, सहायक कुलसचिव (वित्त) एवं (तत्कालीन) पी.एफ. सैल के प्रभारी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अधीन सम्पादित विभागीय जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।**

सचिव महोदय, राज्यपाल सचिवालय राजस्थान, राजभवन जयपुर के पत्र क्रमांक एफ.1(4) आरबी / 2019 / 6424 दिनांक 21 अगस्त, 2019 के अनुसार राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा की निधियों के बैकों में निवेश से सम्बन्धित समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका दिनांक 11.02.2019 एवं दिनांक 24. 02.2019 में प्रकाशित समाचार में वर्णित तथ्यों की वित्त विभाग के सम्बन्धित परिपत्रों के प्रावधानों / निर्देशों के परिपेक्ष्य में जांच करने हेतु माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा अधिनियम 2006 (यथा संशोधित 2018) की धारा 8(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संभागीय आयुक्त कोटा को निर्देशित किया गया। इस क्रम में संभागीय आयुक्त द्वारा पत्रांक प–( ) सतर्कता / डीसी / कोटा / 19 / 993 दिनांक 10.10.2019 में उनकी जाँच रिपोर्ट सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर को प्रेषित की गयी। संयुक्त शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक प. 3(9) त.शि. / 2019 जयपुर दिनांक 23.01.2020 (सम्बन्धित आदेश एवं जांच रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।) **(अनुलग्नक 40.1.1 (पूरक) पृष्ठ सं 1–18)** के अनुसार उक्त शिकायत के प्रकरण में गठित जांच समिति द्वारा राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के पी.एफ. सैल के अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रार (वित्त) तथा तत्कालीन वित्त नियंत्रक को दोषी माना गया था। तत्कालीन वित्त नियंत्रक श्री आर.एल. परसोया का विश्वविद्यालय से स्थानान्तरण अन्यत्र होने एवं उनके राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारी होने के कारण उनके विरूद्ध

3

अनुशासनात्मक कार्यवाही वित्त/कार्मिक विभाग द्वारा किये जाने हेतु संयुक्त शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, जयपुर को समय-समय पर निवेदन किया गया। विश्वविद्यालय द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अधीन श्री मनोज कुमार जांगिड, सहायक कुलसचिव (वित्त) के विरूद्ध जांच किए जाने के सम्बन्ध में ज्ञापन, आरोप पत्र मय अभिकथनों का विवरण दिनांक 07.03.2020 को जारी कर दिये गये थे तथा उनके विरूद्ध तैयार किये गये आरोपों की जांच करने के लिए श्री राकेश भारतीय, वित्त नियंत्रक (तत्कालीन) को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया था। ((**अनुलग्नक 40.1.2 (पूरक) पृष्ठ सं 19–28 एवं अनुलग्नक 40.1.3 (पूरक) पृष्ठ सं 29**) जांच अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। ((**अनुलग्नक 40.1.4 (पूरक) पृष्ठ सं 30–35**))

प्रकरण निर्णय लेने हेतु विचारार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु माननीय सदस्यगण प्रबंध मंडल (नियुक्ति प्राधिकारी) के समक्ष प्रस्तुत है।

संकल्प– **संयुक्त शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग जयपुर के माननीय कुलपति महोदय को संबोधित पत्र संख्या प.3(9)त.शि./2019 दिनांक 23.01.2020 द्वारा राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय की पीएफ सेल के तत्कालीन अधिकारी सहायक कुलसचिव (वित्त) के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जानें एवं तदनुसार पालना रिपोर्ट राज्यपाल सचिवालय व राज्य सरकार को सूचित करने के अनुरोधके क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1958) के नियम 17 के अन्तर्गत श्री मनोज कुमार जांगिड, सहायक कुलसचिव (वित्त) के विरूद्ध जांच किये जाने के संबंध मे आरोप पत्र जारी कर श्री राकेश भारतीय, तत्कालीन वित्त नियंत्रक को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया।**

जांच अधिकारी द्वारा रिपोर्ट को वास्ते निर्णय व अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रबंध मण्डल (सक्षम प्राधिकारी/नियुक्ति अधिकारी) की बैठक में प्रस्तुत किया जा रहा है। इस पर माननीय राज्यपाल महोदय के नामित सदस्य श्री संत कुमार चौधरी जी एवं श्री रवि जूनिवाल जी द्वारा कहा गया कि चूंकि प्रकरण का संज्ञान माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा लिया जाकर प्रकरण में जांच करवाई गई थी तो विश्वविद्यालय द्वारा पुनः जांच अधिकारी नियुक्त कर पुनः जांच क्यों करवाई गई। इस पर कुलसचिव द्वारा बताया गया कि संयुक्त शासन सचिव के पत्र दिनांक 23.01.2020 द्वारा प्रदत्त निर्देश अनुसार दोषी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की प्रक्रिया राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1958) के नियम में दी गई है एवं उसी के अनुरूप उक्त नियमों के नियम 17 के तहत विभागीय जांच करवाई गई। किसी भी कार्मिक को सीधे ही दण्डित नहीं किया जा सकता।

कुलसचिव द्वारा अनुशासनिक प्राधिकारी के जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट से सहमत न होने की स्थिति में की जा सकने वाली कार्यवाही बाबत अवगत करवाया जाकर निवेदन किया गया कि प्रबंध मण्डल के स्तर पर प्राप्त जांच रिपोर्ट की समीक्षा व निर्णय अपेक्षित है। माननीय राज्यपाल महोदय के नामित सदस्य श्री संत कुमार चौधरी जी एवं श्री रवि जूनिवाल जी द्वारा सुझाव दिया गया कि संयुक्त शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक प.3(9)त.शि.2019 दिनांक 23.01.2020 के क्रम में संभागीय आयुक्त, कोटा की जांच रिपोर्ट एवं 17 सीसीए के तहत जांच अधिकारी श्री राकेश भारतीय, तत्कालीन वित्त नियंत्रक द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट विरोधाभासी है। अतः दोनो रिपोर्ट को मार्गदर्शन हेतु राजभवन प्रेषित कर दी जावे।

अन्य सदस्यों के द्वारा इस प्रस्ताव का समर्थन करने के पश्चात 17 सीसीए के तहत की गई जांच रिपोर्ट एवं संभागीय आयुक्त, कोटा द्वारा की गई जांच रिपोर्ट को माननीय कुलाधिपति महोदय के समक्ष मार्गदर्शन हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

बैठक का समापन अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए किया गया।

(प्रो. आर.ए. गुप्ता)
कुलपति एवं अध्यक्ष
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय,
कोटा

(आराधना सक्सेना)
कुलसचिव एवं सचिव
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय,
कोटा